

25/5/19

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी मुकाम - भदोसर जिला चित्तौडगढ

मोहनी || वनाम || चन्द्रप्रकाश वगैर

किरम मुकदमा 128 एल.आर.ए. नम्बर. 51/2019 सन्

तारीख हुवम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज 2019/00427	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
20/5/19	<p>प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मोहम्मद रईस ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0ए0 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की आराजीयात मौजा नाहरगढ पटवार हल्का नाहरगढ में स्थित की खाता संख्या 1 में अंकित आराजी नम्बर 1111, 1109 कुल किता 2 कुल रकबा 0.80 हैक्टैयर भूमि स्थित होकर विपक्षीगण पडोसी है। ताईद में नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस संलग्न है। उक्त आराजीयात के सीमा चिन्ह नहीं होने से विपक्षीगण से आये दिन सीमा संबंधी विवाद होता है उक्त विवाद से बचने के लिए आराजीयात की पत्थरगढी कराई जावे।</p> <p>प्रार्थी की वहस एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। जैर वहस आलौच्य आराजी प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड होकर उन्हें नपती कराने का स्वत्व निहीत है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 128 एल.आर.ए. स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भदोसर को 2000/- अक्षरे दो हजार रूपये फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाता है कि मुकदमा पक्षकारान् को अपने स्तर पर सूचना पत्र जारी किए जाकर उनकी मौजूदगी में मौजा नाहरगढ पटवार हल्का नाहरगढ में स्थित की खाता संख्या 1 में अंकित आराजी नम्बर 1111, 1109 कुल किता 2 कुल रकबा 0.80 हैक्टैयर भूमि की नक्शा बन्दोबस्ती अनुसार बिना किसी के कब्जे काशत में दखल अन्दाजी दिये भूमि की बाद पैमूदगी पत्थरगढी कराई जावे तथा पत्थरगढी के पत्रादि एवं पक्षकारान् के सूचना पत्र न्यायालय में एक माह में प्रस्तुत करें। इसी आशय का हुक्मनामा जारी हो। निर्णय खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी भदोसर</p>	